कार्यालय वन वृत्त शहडोल–484001(म.प्र.)

फोन (कार्या.–245361) (निवास–245335) (फैक्स–240189) ई–मेल–ccf.sdl@mp.gov.in

क्रमांक/मा.चि./2018/ 395   शहडोल, दिनांक 11/01/2018

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी
दक्षिण वनमण्डल शहडोल

विषय :– विकासखण्ड गोहपारू के अन्तर्गत दियापीपर जलाशय योजना का वन भूमि में निर्माण करने का प्रस्ताव।

संदर्भ :– आपका ज्ञापन क्रमांक/माचि./2018/74 दिनांक 06.01.2018.

––00––

विषयांकित जलाशय निर्माण के संबंध में संदर्भित पत्र से सहमति चाही गयी है। प्रस्ताव का परीक्षण करने पर निम्नानुसार कमियॉं/त्रुटियॉं पायी गयी है :–

(1) प्रकरण में पंजीयन प्रोसेसिंग शुल्क की राशि प्राप्त नही की गयी है।

(2) प्रस्ताव में 1:15000 के मानचित्र में वन विभाग के अधिकारी/कर्मचारी के हस्ताक्षर एवं सील अंकित नही है।

(3) आवेदित क्षेत्र 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान/अभ्यारण्य वन्यप्राणी कैरिडोर/वन जैव मण्डल का भाग नही है। प्रस्ताव मे संलग्न प्रमाण–पत्र मे हस्ताक्षर अंकित नही है।

(4) प्रस्ताव मे संलग्न भाग–1 के ऑनलाइन प्रिंट के हार्ड कॉपी मे आवेदक संस्थान के हस्ताक्षर एवं सील तथा प्रस्ताव की भाग–2 की ऑनलाइन प्रिंट के हार्डकॉपी मे वनमण्डलाधिकारी के हस्ताक्षर एवं सील अंकित नही है।

(5) प्रस्तावित जलाशय निर्माण परिक्षेत्र गोहपारू के कक्ष क्र.–712 के आंशिक क्षेत्र 3.077 हे0 वन भूमि प्रभावित होने का उल्लेख है, जबकि प्रस्तावित जलाशय में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता नियम–2008 के तहत श्रीमती श्यामा बाई/रामलाल बैगा को 0.988 हे0 वन भूमि का पूर्व से हक प्रमाण–पत्र जारी किया गया है। उक्त भूमि प्रभावित सम्पूर्ण वन भूमि में शामिल है कि नही स्पष्ट किया जावे।

(6) प्रस्तावित वन भूमि पर खड़े वृक्षों की गणना सूची एवं अनुमानित उत्पादक पत्रक में आवेदक संस्थान एवं वन विभाग के अधिकारी/कर्मचारी के सील एवं हस्ताक्षर अंकित नही है।

(7) जिन प्रकरणों मे 5.00 हे0 से कम वनभूमि प्रभावित होती है संबंधित ग्राम का पटवारी नक्शा जिसमें निर्माण कार्य अलग–अलग रंगों में दर्शायी गयी हो संलग्न किया जाना आवश्यक है।

(8) प्रस्तावित वन भूमि पर खड़े वृक्षों की संख्या FRL, FRL-2 मीटर एवं FRL-4 मीटर के अनुसार उल्लेख नही क़िया गया है।

(9) आवेदक संस्थान द्वारा प्रस्ताव में 1:15000 एवं 1:50000 या अन्य स्केल के मानचित्र संलग्न किये गये है, जो कार्यालयीन पत्र क्र./माचि./7927 दिनांक 26.11.2015 तथा 6553 दिनांक 18.08.2017 के निर्देशों का पालन नही किया गया है।

उपरोक्तानुसार कमियों/त्रुटियों की पूर्ति कर प्रस्ताव ऑनलाइन एवं हार्ड. कॉपी द्वारा भिजवाना सुनिश्चित किया जावे।

संलग्न :– प्रस्ताव मूलतः 01 प्रति।

(प्रशांत जाधव)
मुख्य वन संरक्षक
वन वृत्त शहडोल (म.प्र.)

पृ.क्रमांक/मा.चि./2018/ 395 शहडोल, दिनांक 11/01/2018

प्रतिलिपि :–

(1) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) म.प्र. भोपाल।

(2) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग शहडोल को संदर्भित पत्र के संदर्भ मे सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

मुख्य वन संरक्षक
वन वृत्त शहडोल (म.प्र.)